

अध्याय 9 कर का संदाय

नियम 85 : इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर

- (1) धारा 49 की उप-धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में बनाया रखा जाएगा और उसके द्वारा संदेय सभी रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी।
- (2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा –
 - (क) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम;
 - (ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित या उक्त व्यक्ति द्वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, ब्याज, शास्ति की रकम या कोई अन्य रकम;
 - (ग) ¹[.....]
 - (घ) ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय-समय पर प्रोद्भूत हो।
- (3) धारा 49 ²[या धारा 49क या धारा 49ख] के अधीन उपबंधों के रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
- (4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहीत रकम या प्रतिलोम भार आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित करके संदत्त की जाएगी और तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
- (5) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष की सीमा तक घटा दी जाएगी और तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर में जमा की जाएगी।

¹ अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा खंड (ग) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"(ग) धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अधीन बेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और ब्याज की रकम"

² अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (6) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, यथास्थिति, भागतः या पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओ सूचना या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
- (7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते में किसी विसंगति के दिखाई पड़ने पर उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।
-